तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **निगरानी/टी.ए./2002/3427/भरतपुर** **मु0 सम्पत्ति आदि बनाम मु0 जमीला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल–पीठ **श्री हरि शंकर गोयल, सदस्य**	
23–9–2019	**उपस्थिति :** श्री जे. के. पारीक, अभिभाषक प्रार्थी अभिभाषक अप्रार्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित, **निर्णय** 1– यह निगरानी अन्तर्गत धारा–230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग के निर्णय दिनांक 7–6–2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। 2– निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी / वादीगण ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कांमा में अप्रार्थी / प्रतिवादियां के विरूद्ध प्रस्तुत किया और धारा–212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कांमा ने अपने निर्णय दिनांक 16/8/2000 के द्वारा स्वीकार कर लिया जिसके विरूद्ध प्रतिवादियां ने एक अपील प्रस्तुत की जिसे राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग ने अपने निर्णय दिनांक 7/6/2002 द्वारा स्वीकार कर लिया और उपखण्ड अधिकारी, कांमा का निर्णय अपास्त कर दिया जिससे व्यथित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है। 3– अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया किन्तु वह उपस्थित नहीं। दिनांक 10/4/2012 को रजिस्टर्ड ए.डी. द्वारा नोटिस भेजे गए उसके पश्चात भी वह उपस्थित नहीं हुई इसलिये इकतरफा कार्यवाही करते हुए एकपक्षीय बहस प्रार्थीगण की सुनी गई। 4– प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय, कानून एवं सिद्धान्तों से परे होने के कारण निरस्तनीय है। विवादित भूमि में महताब का 1/2 हिस्सा होने के कारण एवं महताब की मृत्यु के उपरान्त प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पति तैयब के नाम नामान्तरकरण खुलने के पश्चात विवादित भूमि के 1/2 हिस्से पर प्रार्थीगण व अप्रार्थी के पति खातेदार काश्तकार हो गए। अप्रार्थी के पति तैयब की भी मृत्यु हो गई	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2002/3427/भरतपुर</u>** **मु0 सम्पत्ति आदि बनाम मु0 जमीला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

है। तैयब की मृत्यु होने के बाद अप्रार्थी गांव छोड़कर चली गयी और फिर कभी गांव नही आई। अप्रार्थीयां कहीं खननदाज हो गई। इसलिए विवादित भूमि में अप्रार्थीयां का कोई हक व अधिकार नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अप्रार्थीयां के हक में अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार की गई है, जो निरस्तनीय है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में निम्न नजीरें पेश की :–

(i) रिकार्डेड खातेदार को बेचान करने से रोकने के लिए पाबंद किया जा सकता है।

(a) आरआरटी–2013(2) पेज–1118
(b) आरआरडी–2009 पेज–363
(c) आरबीजे–2009 पेज–78
(d) आरबीजे–2005 पेज–73

(ii) वाद के निस्तारण होने तक विवादित भूमि को संरक्षित रखा जाना चाहिए।

(a) आरबीजे–2016 पेज–468
(b) आरबीजे–2013 पेज–216
(c) आरबीजे–2012 पेज–699

5– हमने प्रार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया और पत्रावली का अवलोकन किया। विधि के सुसंगत प्रावधानों का अध्ययन किया और प्रस्तुत नजीरों का आदरपूर्वक परिशीलन किया।

6– नकल जमाबन्दी संवत 2053 से 2056 के अनुसार आराजी खसरा नम्बर–51 रकबा 0.11 हैक्टेयर, 52 रकबा 0.16 हैक्टेयर, 489 रकबा 0.52 हैक्टेयर, 494 मि. 0.17 हैक्टेयर, 1393 रकबा 0.33 हैक्टेयर, 1564 रकबा 0.16 हैक्टेयर किता 6 रकबा 1.45 हैक्टैयर के 1/2 हिस्से पर महताब पुत्र अड़ी खां दर्ज है। महताब की मृत्यु होने पर उसके स्थान पर मु0 संपत्ति बेवा महताब, अयूब, रमजू व तैयब पुत्र महताब के नाम नामान्तरकरण खुलने से प्रार्थीगण व अप्रार्थीयां के पति रिकार्डेड खातेदार दर्ज हो गये। अप्रार्थीयां के पति तैयब की मृत्यु होने के कारण अप्रार्थीयां उसकी वारिस होने के कारण उसके हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त है।

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2002/3427/भरतपुर</u>** **मु0 सम्पत्ति आदि बनाम मु0 जमीला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	7– प्रार्थीगण ने परीक्षण न्यायालय में अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना की। विद्वान उपखण्ड अधिकारी, कांमा ने अपने निर्णय दिनांक 16/8/2000 में अंकित किया कि **''दोनो पक्षो को सुनने के बाद हम यह उचित समझते हैं कि गैर–सायल आराजी मुतनाजा को वाद में निर्णय तक किसी दीगर व्यक्तियों को रहन, बय–मुन्तकिल न करें। दिनांक 22/12/1998 को जारी शेष आज्ञा को निरस्त किया जाता है। गैर–सायल अपने नाम दाखिल खारिज खुलवा सकती है।''** 8– उक्त आदेश के विरूद्ध अप्रार्थीयां ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर में अपील की। राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर ने अपने निर्णय दिनांक 7/6/2002 में अंकित किया है कि **''अपीलान्ट महताब के पुत्र तैयब की विधवा है और उसका आराजी में हक बनता है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने एक विधवा को टी.आई से पाबंद किया है जो कि आरआरडी–1997 पेज–30 व आरआरडी–1998 पेज–79 को देखते हुए उचित प्रतीत नहीं होता। अतः में अपीलान्ट के अधिवक्ता के तर्को से सहमत हूं कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उसे गलत तरीके से टी.आई से पाबंद किया है। अतः आदेश है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहत न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाता है।''** 9– इस प्रकार दोनो अधीनस्थ न्यायायों ने परस्पर विपरीत निर्णय पारित किये हैं। अस्थायी निशेधाज्ञा जारी करने के लिए निम्न तीन सिद्धांत साबित करने होते हैं :– 1– प्रथम दृष्टया मामले का सिद्धांत 2– सुविधा के संतुलन का सिद्धांत 3– अपूरणीय क्षति का सिद्धांत 10– दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने उपर्युक्त तीनों सिद्धान्तों की कसौटी पर प्रकरण को नही परखा और निर्णय पारित किया है। इसलिए हम यह उचित समझते हैं कि पहले प्रकरण को इन तीनों सिद्धांतो पर परखा जाए कि क्या प्रार्थीगण के हक में तीनों सिद्धांत साबित होते हैं अथवा नहीं। प्रर्थीगण रिकार्डेड खातेदार हैं इसलिए प्रथम दृष्टया मामले का सिद्धांत प्रार्थीगण के हक में बनता है किन्तु अप्रार्थी भी रिकार्डेड खातेदार की विधवा स्त्री है और उसकी स्थिति भी रिकार्डेड खातेदार से कम नहीं है। दोनों पक्ष सह खातेदार होने के कारण विवादित भूमि के प्रत्येक इंच पर काबिज समझे जायेंगे। सह खातेदार होने के कारण ही प्रार्थीगण का कब्जा भी बखूबी साबित होता है। इसलिए सुविधा	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2002/3427/भरतपुर</u>** **मु0 सम्पत्ति आदि बनाम मु0 जमीला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	के संतुलन का सिद्धान्त प्रार्थीगण के हक में बनता है। प्रार्थीगण ने राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर का निर्णय अपास्त कर उपखण्ड अधिकारी, कांमा का निर्णय बहाल किये जाने की प्रार्थना की है। उपखण्ड अधिकारी, कांमा ने अप्रार्थीयां को रहन, बय–मुन्तकिल नहीं करने से पाबंद किया है। यहां यह देखना होगा कि यदि अप्रार्थीयां विवादित भूमि को विक्रय करती है तो क्या प्रार्थीगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। उभय पक्ष एक ही परिवार के सदस्य हैं और यदि भूमि को विक्रय किया जाता है तो इससे लिटिगेशन बढ़ने की संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में विवादित भूमि का बेचान नही किया जाए तो आगे लिटिगेशन बढ़ने से रोका जा सकता है। लेकिन बेचान पर रोक केवल अप्रार्थी पर ही क्यों लगे, प्रार्थी पर भी क्यों नहीं? यदि प्रार्थीगण भी भूमि का बेचान करता है तो क्या लिटिगेशन नही बढ़ेगा? इस प्रश्न को हल करने के लिए विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन करना आवश्यक है। जो नजीरें पेश की गई हैं उनमें मुख्यतः दो बाते कही गई हैं। प्रथम यह कि खातेदार को भी बेचान करने से रोका जा सकता है और द्वितीय यह कि वाद निर्णय तक विवादित सम्पत्ति को सुरक्षित रखा जाना चाहिए अर्थात उसे रहन, वय–मुन्तकिल नहीं किया जाना चाहिए। इस दृष्टिकोण से देखने से अपूरणीय क्षति का सिद्धांत भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। 11– यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिये कि अप्रार्थी रिकार्डेड खातेदार की विधवा स्त्री है। क्या एक विधवा स्त्री को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित होगा? इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा–46(1)(डी) के प्रावधानों का भी हमें ध्यान रखना होगा। इस धारा के तहत विधवा स्त्री के हकों की रक्षा करने का कार्य न्यायालयों को करना होगा। ऐसी स्थिति में न्यायालयों को यह देखना होगा कि उसके निर्णय से क्या किसी विधवा स्त्री के अधिकार प्रभावित होते हैं अथवा नहीं। हस्तगत अपील में अप्रार्थीयां उपस्थित नहीं हुई है और उसके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई है। इस कारण भी न्यायालय का उत्तरदायित्व और बढ़ जाता है। 12– राजस्व मण्डल व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालयों के बहुत से निर्णयों में यह अभिमत प्रकट किया जा चुका है कि पारिवारिक विवाद के चलते संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिये रिकार्ड व मौके की यथास्थिति कायम रखनी चाहिये। ऐसी स्थिति में जब केवल एक पक्ष न्यायालय में आकर अपना पक्ष रखता हो तो न्यायालय भी प्लीडिंगस से बाहर जाकर निर्णय प्रदान नहीं कर सकते हैं। अतः हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि एक	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2002/3427/भरतपुर</u>** **मु0 सम्पत्ति आदि बनाम मु0 जमीला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खातेदार को अस्थाई निषेधाज्ञा से इस तरह पाबन्द किया जाये जिससे वह कोई खसरा नम्बर विशेष का बेचान न कर सके। विधवा स्त्री अपने परिवार को चलाने के लिये अपने हिस्से की भूमि का बेचान कर सकती है किन्तु वह किसी खसरा नम्बर विशेष का बेचान नहीं कर सकती है अर्थात केवल अपने हिस्से का बेचान कर सकती है। 13– फलतः यह निगरानी आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। दोनों अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर कैम्प डीग व उपखण्ड अधिकारी, कांमा के निर्णय क्रमशः दिनांक 7–6–2002 एवं 16–8–2000 अपास्त किये जाते हैं और अप्रार्थीयां को वाद के निस्तारण होने तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वह किसी खसरा नम्बर विशेष का बेचान नहीं करें। वह अपने हिस्से की भूमि का बेचान करने के लिये स्वतंत्र है। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। **(हरि शंकर गोयल)** **सदस्य**	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **<u>निगरानी/टी.ए./2002/3427/भरतपुर</u>** **मु0 सम्पत्ति आदि बनाम मु0 जमीला**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए